(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 37 2015–20
नई दिल्ली, दिनांकः 03 फरवरी, 2016

विषयः– यूरोपीय संघ के देशों को तिलहन के निर्यात के लिए प्रक्रिया।

सा.आ. (अ.) विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं.22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यूरोपीय संघ के देशों को तिलहन के निर्यात संबंधी आईटीसी (एचएस) निर्यात एवं आयात मदों के वर्गीकरण की अनुसूची 2 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 12 में क्रम संख्या 68क और 68ख पर शामिल की जाने वाली नयी प्रविष्टियाँ निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
68क	12074010	कि.ग्रा.	बीज गुणवत्ता के तिलहन चाहे टूटे हुए हैं अथवा नहीं	मुक्त	यूरोपीय संघ के देशों को क्र. सं. 68क और 68ख दोनों पर दी गई मदों का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत होगाः– (i) भारतीय तिलहन और उपज निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) निर्यात प्रमाणन जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित है। (ii) एनएबीएल से प्रत्यायित प्रयोगशाला द्वारा ''विश्लेषण का प्रमाणपत्र'' की शर्त के अधीन निर्यातक से प्राप्त करने हेतु अनुरोध प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों के अंदर आईओपीईपीसी निर्यात प्रमाणपत्र जारी करेगा। (iii) यूरोपोय संघ के देशों को तिलहन के निर्यात के लिए प्रक्रिया 'यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए तिलहन में साल्मोनेला के सम्मिश्रण के नियंत्रण के लिए प्रक्रिया' दस्तावेज में दी गई है जो डीजीएफटी की वेबसाइट http://dgft.gov.in/ पर उपलब्ध है।
68ख	12074090		अन्य तिलहन चाहे टूटे हुए हैं अथवा नहीं	मुक्त	

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

यूरोपीय संघ के देशों को तिलहन के निर्यात के लिए शर्तों को अधिसूचित किया गया है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/155/एएम 16/निर्यात सेल)